न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. मांगीलाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति जाट निवासी 33 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....वादी

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तह. सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. काशीराम
3. महेन्द्र कुमार
4. विनोद कुमार

   पुत्रगण लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए),188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी भूमि चक 1 बीडब्ल्यूएसएम (ए) के मुरब्बा नंबर 188/59 के किला नंबर 4 से 7,14 से 16,17/2 में 7 बिस्वा, 25 कुल 8.07 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 का 4 से खरीद की गई थी। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसे बेदखल कर जमीन को दोबारा बेचान पर आमादा है। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है, अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:47:54 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)